न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला टोंक
पीठासीन अधिकारी अर्पीता सोनी (आरएएस)

अपील संख्या 4 / 2017

उनवान

रामकल्याण,दयाराम पुत्र देवा रामकन्या पुत्री देवा जाति गुर्जर निवासी पीतावास तहसील पीपलू जिला टोंक कुल कस– 3

अपीलान्ट

बनाम

3. ग्राम पंचायत डारडातुर्की जरिये सरपंच ग्राम हनोतिया तह0 पीपलू जिला टोंक

रेस्पोडेन्ट

तारिख दायरा 5.12.17

तारिख फैसला 21.2.2018

अपील विरूद्व नामान्करण संख्या 290
ग्राम पंचायत डारडातुर्की स्वीकृति दिनांक 28.5.2015

प्रार्थी अधिवक्ता :–चतुर्भूज गुर्जर
अप्रार्थी अधिवक्ता :–अनुपस्थित

निर्णय

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता ने अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत डारडातुर्की ने ख0न0 15/1 रकबा 2 बीधा 8 बिस्वा,ख0न0 197 रकबा 5 बिस्वा ख0न0 225 रकबा 1 बिस्वा, ख0न0 226 रकबा 18 बिस्वा ,ख0न0 239 रकबा 4 बिस्वा ख0न0254 रकबा 7 बिस्वा,ख0न0 297 रकबा 1 बीधा 4 बिस्वा,ख0न0 335 रकबा 5 बीधा 12 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 10 बीधा 19 बिस्वा वाके ग्राम पीतावास पटवार हल्का हाडीखुर्द तह0 पीपलू में स्थित है। उक्त आराजी में अपीलान्ट के पिता देवा पुत्र पाचू का 1/32 हिस्सा था व इसी अनुसार हक व खातेदार थे जिनके अपीलान्ट मात्र उत्तराधिकारी है। आरजी में जो हक हिस्सा अपीलान्ट के पिता का था उस हिस्से का नामा0 सं0 290 भरते हुए दिनांक 28.5.2015 को ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है। परन्तु उक्त नामा0 अपीलान्ट के पिता का नाम देवा के स्थान पर पाचू अंकित कर दिया गया इसलिए नामान्तरकरण निरीस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के राशनकार्ड,आधारकार्ड पहचान पत्र,बोटर लीस्ट व शैक्षणिक दस्तावेज में नाम देवा ही है। अपीलान्ट ने उक्त आराजी की नकले दिनांक 23.11.2017 को निकालने पर उक्त त्रुटि का पता चला इस कारण अपील देरीनामें अपीलन्ट की कोई देरी नही मानी जाकर क्षमा किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रार्थना पत्र प्रेषित है। अतः श्रीमान् जी अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत डारडातुर्की द्वारा भरा गया नामा0 संख्या 290 दिनांक 28.5.2015 को निरस्त फरमाया जाकर राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट के पिता का नाम पॅाचू के स्थान पर देवा अंकित

अर्पिता

कर देवा के वारिसानों का 1/32 हिस्से का नामान्तरकरण भरा जाने का आदेश प्रदान करे ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई रेस्पोडेन्ट की बावजूद तलबी के आज दिनांक 16.2.2018 तक भी उपस्थित नही हुए अतः उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर पत्रावली में अपीलान्ट की बहस सूनी गई ।

अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता ने अपील में प्रस्तुत कथनों को दौहराते हुए निवेदन किया है कि नामा0 अपीलान्ट के पिता का नाम देवा के स्थान पर पाचू अंकित कर दिया गया इसलिए नामान्तरकरण निरीस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के राशनकार्ड,आधारकार्ड पहचान पत्र,बोटर लीस्ट व शैक्षणिक दस्तावेज में नाम देवा ही है। अपीलान्ट ने उक्त आराजी की नकले दिनांक 23.11.2017 को निकालने पर उक्त त्रुटि का पता चला इस कारण अपील देरीनामें अपीलन्ट की कोई देरी नही मानी जाकर क्षमा किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रार्थना पत्र प्रेषित है। अतः श्रीमान् जी अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत डारडातुर्की द्वारा भरा गया नामा0 संख्या 290 दिनांक 28.5.2015 को निरस्त फरमाया जाकर राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट के पिता का नाम पचू के स्थान पर देवा अंकित कर देवा के वारिसानों का 1/32 हिस्से का नामान्तरकरण भरा जाने का आदेश प्रदान करे ।

हमने अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध ग्राम पंचायत डारडातुर्की द्वारा दिनांक 28.5.2015 को भरा गया 290 नामान्तरकरण एवं राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया जिससे पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवेजात में अपीलान्ट के राशनकार्ड ,आधारकार्ड पहचान पत्र,बोटर लीस्ट व शैक्षणिक दस्तावेज में नाम देवा ही है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत डारडातुर्की द्वारा दिनांक 28.5.2015 को भरा गया नामान्तरकरण संख्या 290 निरस्त किया जाता है । तथा तहसीलदार पीपलू को आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट के पिता का नाम पॅाचू के स्थान पर देवा अंकित कर देवा के वारिसानों का 1/32 हिस्से का नामान्तरकरण पुनः नवीन सिरे से भरा जावे ।

निर्णय आज 21.2.2018 को सरे इजलाश सुनाया गया।

अर्पिता

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
पीपलू